प्रदेश में पिछले तीन दिन से नए करोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि

राज्य में शुक्रवार को 254 नए संक्रमित मिले, इससे पहले गुरूवार को 251 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

■ राजधानी जयपुर में सर्वाधिक 91 नए मरीज मिले हैं।

■ प्रदेश में रिकवरी बढ़ने से एक्टिव केस घटकर 17 सौ रह गए हैं।

जयपुर। प्रदेश में पिछले तीन दिन से नए करोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। शुक्रवार को भी राज्य में थोड़ी बढ़ोतरी होने के बाद 254 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच 259 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में रिकवरी बढ़ने से एक्टिव केस घटकर 17 सौ रह गए हैं।

प्रदेश में शुक्रवार को 26 जिलों में 254 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले गुरूवार को 251 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में भी नए संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान जिले में सर्वाधिक 91 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 18, अलवर में 17, प्रतापगढ़ में 16, पाली व सीकर में 14-14, चित्तौड़गढ़ में 10, कोटा व नागौर में 9-9, बीकानेर व दौसा में 8-8, भीलवाड़ा व जैसलमेर में 6-6, उदयपुर में 4, बाड़मेर, भरतपुर, डूंगरपुर व सिरोही में 3-3, झुंझुनूं, धौलपुर, बारां व अजमेर में 2-2 तथा बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में एक-एक नया संक्रमित मिला है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 259 मरीज ठीक हुए हैं। लगातार नए संक्रमितों से अधिक रिकवरी होने से एक्टिव केस घटकर 1700 रह गए हैं। जयपुर में आज रिकवरी कम होने से एक्टिव मामले बढ़कर 447 हो गए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 162 और अलवर में 138 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को भी करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि अब तक इस बीमारी से 9628 संक्रमितों की मौत हो चुकी है।

राजधानी जयपुर में शुक्रवार को 34 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 14 मरीज मानसरोवर में पाए गए हैं। इसके अलावा जगतपुरा में 9, मालवीय नगर में 7, आमेर व सांगानेर में 5-5, दुर्गापुरा व गोविंदगढ़ में 4-4, सी-स्कीम, चाकसू व शास्त्री नगर में 3-3, बरकत नगर, हरमाड़ा, हसनपुरा, जामडोली, महेश नगर, टोंक फाटक व सोढ़ाला में 2-2 तथा आदर्श नगर, अजमेरी गेट, बस्सी, ब्रह्मपुरी, चांदपोल, दूदू, गलता गेट, गांधी नगर, गोपालपुरा, गोविंदनगर, गुर्जर की थड़ी, झालाना, लालकोठी, मुरलीपुरा, निर्माण नगर और सीकर रोड इलाके में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 4 संक्रमितों का पता गलत मिला है। जिले में आज 57 मरीज ठीक हुए हैं।

राजस्थान में निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लीयरेंस एक्ट, 2011 एवं राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम-2019 के तहत कस्टमाईज्ड पैकेज देने पर विचार करने के लिए स्टेट एम्पावर्ड कमिटी (एसईसी) ने शुक्रवार को विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। इससे राज्य में 4,615 करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।

एसईसी की इस 39वीं बैठक की अध्यक्षता उषा शर्मा, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा की गई। इसके तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स ईवी, टैक्सटाईल और सीमेंट सहित विभिन्न सेक्टर से है। स्टेट एम्पावर्ड कमिटी द्वारा अनुशंसित प्रोजेक्ट्स को अंतिम अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता वाले बोर्ड आफ इन्वेस्टमेंट के समक्ष पेश किया जाएगा।

सिंघवी को विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली

■ ईडी मामलों की विशेष अदालत ने कहा कि विदेश जाना मूलभूत अधिकार, लेकिन जाने का उचित कारण कोर्ट को बताना जरूरी

जयपुर, (का.सं.)। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन घूस कांड के आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि विदेश जाना किसी भी व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग विधि द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता है। विदेश जाने की अनुमति मांगने के लिए आरोपी को अदालत के समक्ष उचित कारण बताना जरूरी है। आरोपी की विदेश जाने की इच्छा मात्र के आधार पर उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है।

आरोपी सिंघवी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि विदेश यात्रा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। वह पूर्व में भी अदालत की अनुमति से विदेश जा चुका है। उसकी सभी संपत्ति भारत में ही है, जिसके चलते उसके भागने का कोई अंदेशा नहीं है। सिंघवी की ओर से हवाई यात्रा का टिकट पेश कर कहा गया कि उसे 14 सितंबर से 30 अक्टूबर तक पेरिस जाने की अनुमति दी जाए। वहीं प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी ने तो कोई आमंत्रण पत्र और वीसा की कॉपी पेश नहीं है और ना ही विदेश यात्रा का कोई कारण बताया है। ऐसे में आरोपी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। गौरतलब है कि एसीबी ने खान आवंटन के लिए ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में अशोक सिंघवी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था।

वहीं मामले में करोड़ों रुपए के लेनदेन को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अलग से मामला दर्ज किया था। फरवरी 2021 में भी आरोपी सिंघवी ने ईडी कोर्ट से अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। हालांकि जुलाई 2021 में हाईकोर्ट ने सिंघवी को विदेश जाकर तीन माह में लौटने के आदेश दिए थे।

अनुभवी नेता अरूण सिंह को पुन: भाजपा प्रदेश प्रभारी लगाया

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेशों के प्रभारियों की घोषणा की। जिसमें राजस्थान में प्रदेश प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को मनोनीत किया है। साथ ही प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर को बनाया गया है। अरुण सिंह की पूर्व में नियुक्ति 13 नवंबर 2020 को हुई थी।

उसके पश्चात सिंह ने प्रदेश के कई अनगिनत दौरे किये एवं संगठनात्मक ढांचे की मजबूती के लिए जोर दिया प्रदेश में बूथ अध्यक्ष एवं पन्ना प्रमुख का कार्य 90 प्रतिशत हो चुका है जिससे आगामी चुनावों और संगठनात्मक कार्यों को बल मिलेगा।

शहरों में भी रोजगार गारंटी योजना शुरू

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे देश में सबसे पहले राजस्थान के शहरवासियों को रोजगार देने के लिए 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' के रूप में ऐतिहासिक पहल की गई है। अब राज्य सरकार योजना अंतर्गत शहरों के हर जरूरतमंद परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी।

डिप्टी व एसपी पर कार्रवाई के आदेश

■ पुलिस हिरासत से भागने के मामले में जांच अधिकारी और एफआर की अनुमति देने का मामला

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य महानगर रेलवे मजिस्ट्रेट ने पुलिस हिरासत से भागने के मामले में जांच अधिकारी और एफआर को मंजूरी देने वाले अधिकारी जीआरपी वृत्ताधिकारी व पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस जाब्ते के सदस्यों ने आरोपी के पुलिस हिरासत से भागना स्वीकार किया है। इसके बावजूद भी जांच अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए एफआर पेश की है, जो कि स्पष्ट रूप से मिलीभगत और गंभीर लापरवाही का विषय है। अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वह प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान करवाकर रिपोर्ट अदालत में पेश करें।

मामले के अनुसार पुलिसकर्मी सुखदेव ने अलवर जीआरपी में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि हरमाड़ा थाने में युवती के अपहरण के मामले में वह कानपुर गया था। वहां गुमशुदा युवती अमन दीक्षित के साथ मिली। जिसे लेकर वे प्रयागराज से ट्रेन में रवाना हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि 28 फरवरी 2021 को सुबह ट्रेन डीग से रवाना होने के बाद परिवादी को नींद आ गई। वहीं अलवर में ट्रेन रुकी तो पता चला कि अमन दीक्षित ट्रेन से फरार हो चुका था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त की मौत होने के आधार पर एफआर पेश कर दी। एफआर पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि परिवादी और जाब्ते के सदस्य अश्वनी कुमार ने माना की आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ है, जो कि आईपीसी की धारा 223 के अधीन आता है। इसके बावजूद भी इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए एफआर पेश की गई। जो स्पष्ट रूप से मिलीभगत और गंभीर लापरवाही का विषय है।

दुष्कर्म करने वाले को सजा

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सौतेली भांजी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा सुनाई है।

सीएम को हैरिटेज निगम की कंगाली का दुखड़ा सुनाया मेयर मुनेश ने

जयपुर (कासं)। कांग्रेस सरकार ने राजनैतिक फायदे के लिए, जयपुर में नगर निगम के दो टुकड़े तो कर दिये, लेकिन अब दोनों निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहे है। शुक्रवार को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारम्भ मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष कांग्रेस की मेयर मुनेश गुर्जर ने हैरिटेज निगम की कंगाली का दुखड़ा सुनाते हुए उनसे बजट देने की मांग की। मेयर ने कहा "निगम के हालात अच्छे नहीं है। मुझे व पार्षदों को यहां काफी समस्या आ रही है। ऐसे में आपसे दरखास्त है कि नगर निगम हैरिटेज को थोड़ा बजट उपलब्ध करवाया जाए।"

दरअसल, जयपुर, जोधपुर और कोटा में गहलोत सरकार ने साल 2019 में 2-2 नगर निगम बना दिए थे। अब इन निगमों में आर्थिक स्थिति खराब है। जनता और जनप्रतिनिधि दोनों ही काम न होने से परेशान हो रहे है। बजट नहीं होने के कारण ही जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज एरिया में न तो ठीक से सफाई हो रही है, न ही शहर में टूटी सड़कें ठीक हो रही।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारम्भ के मौके पर जब मेयर मुनेश गुर्जर को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत के सामने अपनी और नगर निगम की पीड़ा जाहिर कर दी।

लम्पी वायरस की दवाओं के चार हजार किट सांगानेर क्षेत्र में बंटवाएंगे विधायक लाहोटी

'बीते 2 दिन में सांगानेर क्षेत्र में लम्पी वायरस से 100 से ज्यादा गायों की मौत हुई, राज्य सरकार इस महामारी पर काबू पाने में पूरी तरह फेल'

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। लम्पी वायरस से पिछले 2 दिन में सांगानेर क्षेत्र में 100 से ज्यादा गौवंश की दर्दनाक मौत हुई है। इस वायरस की दवाओं के 4 हजार किट बनवाकर विधायक अशोक लाहोटी सांगानेर क्षेत्र में बंटवाएंगे। विधायक कोष से यह उपचार किट तैयार किये गए हैं।

■ विधायक लाहोटी ने जयपुर कलेक्टर को बदहाल सफाई, फॉगिंग व मृत पशु नहीं उठाने की समस्याएं गिनाई

सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी ने शुक्रवार को जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर लम्पी वायरस की रोकथाम के लिए उचित प्रबंधन करने को कहा।

इसके साथ ही भांकरोटा, सांगानेर, मानसरोवर, सीतापुरा गांव और टोंक रोड समेत कई क्षेत्रों के लिए 5 मोबाइल टीकाकरण टीमें गठित की गई है। विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि सांगानेर क्षेत्र के घर-घर में लोग गाय पालते हैं। पिछले 2 दिन में 100 से ज्यादा गायों की लम्पी वायरस से मौत हुई है। राज्य सरकार इस महामारी पर काबू पाने में फेल है। शुक्रवार को जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मिलकर इस भयावह स्थिति से अवगत कराया है। लाहोटी ने बताया कि लम्पी वायरस के फैलने में नगर निगम की लापरवाही सबसे ज्यादा है। न तो निगम की टीमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रही हैं और न ही फॉगिंग की जा रही है। यहां तक कि सड़कों से कचरा तक नहीं उठ रहा। ऐसे में मक्खी-मच्छर पनप रहे हैं, जो कि वायरस को इधर-उधर फैला रहे है। यही कारण है कि शहरी क्षेत्र में तेजी से लम्पी वायरस पांव पसार रहा है। इस पर कलेक्टर ने तुरंत हालात दुरुस्त करने को कहा।

इस बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर बीरबल सिंह, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ.प्रवीण सैन, नगर निगम से उपायुक्त स्वास्थ्य मुकेश मीणा, उपायुक्त मानसरोवर हेमाराम चौधरी, उपायुक्त पशु प्रबंधन डॉ. हरेंद्र सिंह व डॉ. रश्मि कांकरिया पहुंचे।

अमेरिका सिंह के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के निलंबित कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने और आपराधिक षडयंत्र को लेकर अशोक नगर थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बिरेन्द्र कुमार ने यह आदेश आरोपी अमेरिका सिंह की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई तथ्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि यह एफआईआर राजनीतिक कारणों या विभागीय दुश्मनी के कारण दर्ज कराई गई है। क्योंकि एफआईआर दर्ज करने में किसी विभागीय व्यक्ति का हाथ नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि गुरुकुल विवि. स्थापना का बिल पास हो जाता और विवि का अधिनियम अस्तित्व में आ जाता तो क्या होता, बाद में जनता कहती कि जिस विवि के पास न तो बिल्डिंग है और ना ही भूमि है उस विवि को सरकार ने अनुमति दे दी।

याचिका में कहा कि उसके खिलाफ राजनीतिक द्वेषता से अशोक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एफआईआर में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट पेश की थी। जिससे बिल सदन में पहुंचा।

'दलित अत्याचार के मामलों पर गहलोत सरकार मौन'

■ भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र गोठवाल ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया

जयपुर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने प्रदेश में बढ़ते हुए दलित अत्याचार व कांग्रेस के विधायकों द्वारा दलित अत्याचारों के मामलों पर अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा करने के मामले पर प्रेस वार्ता संबोधित की।

गोठवाल ने कहा कि कांग्रेस के लगभग 4 सालों में राजस्थान दलित अत्याचारों का गढ़ बन चुका है, इस बात की पुष्टि उनके ही विधायक व नेताओं द्वारा लगातार उन्हीं की सरकार के खिलाफ दिए जा रहे बयानों से हो रही है। यदि आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 26900 दलित अपराध के मामले दर्ज हुए जिनमें सैकड़ों मामले प्रदेश में दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के हैं, गहलोत सरकार ने भाजपा द्वारा दलित महिला दुष्कर्म के कई मामलों सीबीआई जांच की मांग को अनदेखा किया नतीजतन प्रदेश में लगातार दलित अपराध व महिला दुष्कर्म के मामले 12.9 प्रतिशत बढ़े, आजादी के 75 साल बाद भी राजस्थान प्रदेश में दलितों दूल्हों को घोड़ी से उतारना, किसी दलित द्वारा विद्यालयों में पकाए जाने वाले खाने का बहिष्कार करना, जैसी घटनाएं आम हो रही हैं जिससे सरकार की दलितों के प्रति असंवेदनशीलता का पता चलता है। गोठवाल ने चूरू में दलित महिला के साथ थाने में हुए बलात्कार के मामले जिक्र करते हुए कहा कि गहलोत सरकार के राज में दलित महिलाएं पुलिस थाना, अस्पताल, मंदिरों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षित नहीं हैं। दलित अत्याचार के मामलों के विरोध पर कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने इस्तीफा दिया, साथ ही अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा भी मुखर होकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में सरकार की मौन स्वीकृति के चलते दलित अत्याचार चरम पर है, बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले वाले मुख्यमंत्री गहलोत साहब द्वारा भाजपा नेताओं को दलित अत्याचारों के मामलों का मुखर विरोध करने पर द्वेषपूर्ण कार्यवाही कर जेल में डाल दिया जाता है।

रीजनल कंसेंटेशन वर्कशॉप सम्पन्न

जयपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार से जयपुर में शुरू हुई दो-दिवसीय रीजनल कंसेंटेशन वर्कशॉप ऑन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं 15वें फाइनेंस कॉमिशन हेल्थ ग्रांट' विषय पर कार्यशाला शुक्रवार को सम्पन्न हो गई। कार्यशाला में सम्पूर्ण देश में संचालित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, (फाइनेंस कॉमिशन ग्रांट) के तहत् चिकित्सा सेवाओं व संसाधनों के व्यवस्था व प्रबंधन में समक्ष आ रही चुनौतियों, कठिनाईयों, नवाचार गतिविधियों एवं आवश्यक सुधारात्मक गतिविधियों पर विस्तृत मंथन किया गया। शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ पृथ्वी ने बताया कि वर्कशॉप में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान राज्यों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों एवं चिकित्सा विशेषज्ञों ने भाग लिया।

नवजात बच्चों और प्रसूताओं का डीएनए टेस्ट के लिए सैम्पल लिए

जयपुर, (कासं)। राजधानी के के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में सप्ताह भर पहले बच्चे बदलने के मामले में पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए सैम्पल लिए हैं। लालकोठी थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में अस्पताल में दोनों बच्चों और प्रसूताओं के डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड के सैम्पल लिए। शुक्रवार को जांच के लिए इन सैम्पल को एफएसएल लैब भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि मामला नवजात बच्चों का और संवेदनशील होने के कारण एफएसएल से जल्द रिपोर्ट देने के लिए आग्रह किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद बच्चों के सही माता-पिता का पता चल सकेगा। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह का ये पहला मामला है जब इसे सुलझाने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि एक सितम्बर को जयपुर के घाटगेट निवासी रेशमा और करौली की रहने वाली निशा की डिलीवरी हुई थी।

बार चुनाव 18 नवंबर को

■ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए पांच पूर्व अध्यक्षों की कमेटी गठित

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 18 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। वहीं चुनाव में वन बार-वन वोट सहित अन्य मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट व बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से लिए गए निर्णयों की पालना के लिए रूपरेखा बनाने के लिए एसोसिएशन के पांच पूर्व अध्यक्षों की कमेटी बनाई गई है। पूर्व अध्यक्ष कमलाकर शर्मा, लोकेश शर्मा, आरपी सिंह, आरबी माथुर और माधव मित्र की कमेटी सुप्रीम कोर्ट व बीसीआर के निर्णयों को लागू करने के तरीकों पर मंथन करेगी।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव गिर्राज शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। जिसमें 18 नवंबर को वार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं वन बार-वन वोट के साथ ही उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट व बीसीआर के निर्णयों की पालना की रूपरेखा के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। शर्मा ने बताया कि बैठक में अधिवक्ता मिनार्क जैन की सदस्यता बहाल करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मीनार्क जैन की बार कौंसिल से सदस्यता समाप्त करने को लेकर पूर्व में भेजी शिकायत को वापस लेने का निर्णय भी किया गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की अवधि गत फरवरी माह में पूरी हो चुकी है। अब तक चुनाव नहीं कराने को लेकर गत दिनों एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने एसोसिएशन को मांग पत्र सौंपा था। इसके अलावा वकीलों ने धरना देकर चुनाव कराने की मांग भी की थी। मालूम हो की बीसीआर ने सितंबर 2017 के हाईकोर्ट और मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए गत दिनों सभी बार एसोसिएशन को पत्र लिखा था। जिसमें कहा गया था कि यदि किसी बार एसोसिएशन का सदस्य एक से अधिक बार एसोसिएशन में वोट देगा तो उसकी सदस्यता तीन साल के लिए निलंबित हो जाएगी।

स्पैरो कंपनी के दो सर्वेयर 20 हजार रु. रिश्वत लेते गिरफ्तार

पीड़ित की वाणिज्यिक संपत्ति को आवासीय में दर्शा कर यूडी टैक्स में कटौती करने की एवज में 40 हजार रुपये मांगे थे

जयपुर (कासं)। जयपुर के लोगों से नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) वसूलने वाली स्पैरो कंपनी के 2 सर्वेयर 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते एसीबी के हत्थे चढ़े है। यह कंपनी जयपुर ग्रेटर व हैरिटेज निगम के लिए टैक्स वसूली का काम करती है। दोनों आरोपियों महेश शर्मा व रोहिताश मीणा ने परिवादी की वाणिज्यिक संपत्ति को आवासीय में दर्शाकर टैक्स में कटौती करने की एवज में 40 हजार रुपये की घूस मांगी थी। परिवादी ने 4 सितंबर को एसीबी मुख्यालय में शिकायत की थी। जिसका सत्यापन करवाने के बाद शुक्रवार को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया।

आरोपी महेश शर्मा

आरोपी रोहिताश मीणा

■ जयपुर ग्रेटर और हैरिटेज निगम के लिए शहरवासियों से यूडी टैक्स वसूलती है स्पैरो

एसीबी महानिदेशक बी.एल. सोनी ने बताया कि पीड़ित ने एसीबी मुख्यालय में शिकायत दी थी कि स्पैरो कंपनी के कर्मचारियों ने ग्रेटर नगर निगम में जाने वाले सर्विस चार्ज को कम करने की एवज में पैसा मांग रहे है। उनका टैक्स 40 हजार रुपए बनता है। इसके लिए आरोपी महेश और रोहिताश ने कमर्शियल एक्टिविटी को डोमेस्टिक बताने की बात कह कर 20 हजार की डिमांड की थी। जिस पर एसीबी, विशेष अनुसंधान इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन कराया। इसके बाद एसीबी ने दोनों ही आरोपियों के फोन सर्विलांस पर लिए और शिकायत का सत्यापन किया। महेश और रोहिताश पिछले 2 साल से स्पैरो कंपनी में सर्वेयर का काम कर रहे है। इनके द्वारा दुकान मालिक को धमकाने और रिश्वत लेने की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की। वहीं स्पैरो कंपनी के अधिकारियों को भी इस संबंध में जानकारी दी।

ज्ञात रहे कि कंपनी के एक कर्मचारी को करीब 4 माह पूर्व तत्कालीन एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा ने भी ट्रैप किया था। लाल कोठी इलाके में मकान का सर्वे करने गए कर्मचारी ने टैक्स कम करवाने की एवज में पीड़ित से पैसों की डिमांड की थी। जिसके बाद पीड़ित ने भी एसीबी में शिकायत कर आरोपी सर्वेयर को नगर निगम मुख्यालय में ही ट्रैप करवा दिया। उसके बाद भी सर्वे का काम कर रहे इन कर्मचारियों पर कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है।

यूरिया-डीएपी का अतिरिक्त आवंटन करने का आग्रह

■ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री को पत्र लिखा

जयपुर । कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने केन्द्र सरकार से राज्य को स्वीकृत मांग अनुरूप सितम्बर माह में एक लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं 50 हजार मैट्रिक टन डीएपी का अतिरिक्त आवंटन करवाकर तत्काल आपूर्ति करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर प्रदेश में किसानों की यूरिया एवं डीएपी की वर्तमान मांग से अवगत कराते हुए तत्काल आपूर्ति का अनुरोध किया है।

कृषि मंत्री कटारिया ने पत्र में बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य को खरीफ-2022 के लिए 8.50 लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं 4.40 लाख मैट्रिक टन डीएपी की मांग स्वीकृत की थी, जिसके तहत अगस्त एवं सितम्बर महीने में 3.52 लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं 1.80 लाख मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति होना अपेक्षित था, लेकिन केन्द्रीय उर्वरक मंत्रालय की ओर से अब तक 2.56 लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं 1.17 लाख मैट्रिक टन डीएपी ही आवंटित किया गया है। इस प्रकार स्वीकृत मांग के विरुद्ध 96 हजार मैट्रिक टन यूरिया एवं 43 हजार मैट्रिक टन डीएपी कम आवंटित की गई है, जिसकी वजह से काश्तकारों को मांग के अनुसार पर्याप्त यूरिया एवं डीएपी उपलब्ध कराने में परेशानी होने की आशंका है। कटारिया ने इस वर्ष राज्य में अच्छे मानसून के कारण खरीफ फसलों की हुई रिकॉर्ड बुवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इससे उर्वरकों की खपत में गत वर्ष की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा राज्य में पिछले साल की तुलना में एक लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं 19 हजार मैट्रिक टन डीएपी का स्टॉक कम है। साथ ही अच्छी वर्षा होने के कारण जलाशयों में पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता के मध्यनजर रबी फसलों का क्षेत्रफल भी 112 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 116 लाख हेक्टेयर होना संभावित है। उन्होंने बताया कि सरसों और चना फसल की बुवाई 15 सितम्बर से शुरू हो जाएगी, जिससे यूरिया एवं डीएपी उर्वरक की अतिरिक्त मांग सृजित होगी। कृषि मंत्री ने इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से किसान हित में राज्य को सितम्बर माह में एक लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं 50 हजार मैट्रिक टन डीएपी का अतिरिक्त आवंटन करवाकर तत्काल आपूर्ति करने का आग्रह किया है।